"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 273] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 13 दिसम्बर 2001—अग्रहायण 22, शक 1923

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2001

अधिसूचना

क्रमांक 6467/2687/21-ब/छ.ग.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 333 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1807/21-अ (निर्वाचन)/छत्तीसगढ़/2001 दिनांक 10 जुलाई, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

द्वितीय पैरा में शब्द "श्रीमती क्रिस्टन मैकलॉइड" के स्थान पर "श्रीमती इन्ग्रिड क्रिस्टन मैकलॉउड" स्थापित किए जाएं.

Raipur, the 12th December 2001

NOTIFICATION

No.6467/2687/21-B/CG.—Now, therefore in exercise of the powers conferred on him by Article 333 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following amendment in the Hindi Notification No. 1807/21-A (EL)/C.G./2001 dated 10th July, 2001 namely :—

AMENDMENT

In the said notification,—

In Noitification para Second, the following name shall be substituted, namely :—

"Smt. Ingrid Christine Mcleod".

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. यदु, अतिरिक्त सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.